कार्यालय, कलेक्टर जिला खरगोन, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग

क्रमांक / 73 / भू–अर्जन / 2018 खरगोन,दिनांक 20 / 3 / 2018

:: **अधिसूचना** ::

कार्यकारी निदेशक, एनटीपीसी.लिमिटेड,खरगोन के व्दारा उनके पत्र क्रमांक भू–अर्जन / 2018 / 8229 से 8235, दिनांक 05 / 03 / 2018 के व्दारा जिला खरगोन की तहसील सनावद के ग्राम सेल्दा–डालची में स्थापित की जा रही **(2x660)** मेगावाट की **"वृहद ताप विद्युत परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिये प्रस्तावित रेलपथ के निर्माण हेतु"** भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक–30 सन् 2013) के तहत भू–अर्जन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तथा भू–अर्जन अधिनियम–2013 के अध्याय–2 की धारा–4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पूर्व में इसी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि के संबंध में समाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट दी जा चुकी है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित परियोजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16–15–(1)–2014–सात–शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 व्दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं **अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर, जिला–खरगोन एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन, राजस्व विभाग**, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9 / 2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित ग्रामो की भूमि को अधिनियम के अध्याय–2 की धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूँ–

क्र.	जिला	तहसील	प0ह0नं0	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
1	खरगोन	सनावद	47	बांसवा	0.553	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये प्रस्तावित रेलपथ के निर्माण हेतु।
2			51	भानबरड	0.385	
3			49	भोपालपुरा	0.817	
4			49	बमनगांव	1.085	
5			10	भोगावांनिपानी	0.140	
6			48	बोदगांव	0.162	
7			09	डाल्याखेडी	0.660	
				योग	3.802	

नोटः–

1– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2– उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, बडवाह एवं कार्यकारी निदेशक,एनटीपीसी.लिमिटेड़,खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अशोक कुमार वर्मा)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र शासन,राजस्व विभाग
जिला खरगोन (म.प्र.)